वित्तीय स्वीकृति/आयोजनेत्तर
संख्या :222/XVII-2/09-बजट10(19)/2009

प्रेषक

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

आयुक्त
विकलांगजन उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक :17 अप्रैल, 2009

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के लेखानुदान में अनुदान संख्या-15 के आयोजनेत्तर पक्ष में विकलांगजन अधिनियम, 1995 के क्रियान्वयन के अन्तर्गत विकलांगजन आयुक्त कार्यालय हेतु **प्राविधानित धनराशि का आवंटन।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या : 205/XXVII(1)/09 दिनांक 25 मार्च, 2009 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के लेखानुदान (01 अप्रैल 2009 से 31 जुलाई 2009) के अनुदान संख्या-15 के आयोजनेत्तर पक्ष में विकलांगजन अधिनियम, 1995 के क्रियान्वयन के लिए विकलांगजन आयुक्त, कार्यालय हेतु **रू0 4.38 लाख (रू0 चार लाख अड़तीस हजार मात्र)** की धनराशि को उक्त शासनादेश एवं निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किये जाने मे किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।
2. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओ पर ही व्यय किया जाए, और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के कार्यान्वयन के लिए नही किया जाए।
3. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।

4. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहें वो वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण मुख्य /लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी ओर लाल स्याही से अनुदान संख्या–15 तथा आयोजनेत्तर शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

5. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर ले कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।

6. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अवधनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जाए।

7. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।

10. समस्त चालू निर्माण कार्य, नये निर्माण कार्य, उपकरण व संयंत्र का क्रय, वाहन का क्रय एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय की स्वीकृतियों के लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को पृथक से उपलब्ध करायें।

11. बी0एम0–13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12. छठें वेतन आयोग की संस्तुति के लाभ होने के पश्चात वित्तीय वर्ष 2009–10 में देय 30 प्रतिशत एरियर की धनराशि, जो कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि खाते में डाली जानी है, का भुगतान 01 अप्रैल, 2009 से 31 जुलाई, 2009 तक के लेखानुदान द्वारा प्राविधानित धनराशि से नहीं किया जायेगा, तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 के देय 40 प्रतिशत वेतन एवं अन्य भत्तों के एरियर की धनराशि यदि किसी कारणवश सामान्य भविष्य निधि खाते में नहीं डाली जा सकी हो तो उसका भुगतान भी माह जुलाई, 2009 के बाद ही किया जायेगा। यह प्रतिबन्ध सेवानिवृत्त होने वाले अथवा अन्य कारणों से सेवा में बने न रहने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में नहीं रहेगा।

13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

14. उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 73/XXVII(7)/2007/डी0डी0ओ0/2005 दिनांक 01.12.2005 के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के लेखानुदान की अनुदान संख्या–15 के "आयोजनेत्तर पक्ष" में संलग्न विवरण में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्रथमिक ईकाईयों के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 223/XVII–2/09–बजट10(19)/2009 तद्दिनांकित :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूं, उत्तराखण्ड ।
5. निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. जिलाधिकारी, देहरादून।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
9. जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून ।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
11. बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. समाज कल्याण, नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।

अनुदान संख्या–15 आयोजनेत्तर मतदेय

लेखाशीर्षक : 2235–02–101–11–00
मुख्य शीर्षक : 2235– सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
उप मुख्य शीर्षक : 02–समाज कल्याण
लघु शीर्षक : 101– विकलांग व्यक्तियों का कल्याण
उप शीर्षक : 11– दिव्यांगजन अधिनियम 1995 के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम
ब्यौरेवार शीर्षक : 00–

(धनराशि हजार रुपये में)

मानक मद	आवंटित धनराशि
01 वेतन	237
02 मजदूरी	33
03 महगाई भत्ता	52
06 अन्य भत्ते	26
09 विद्युत देय	8
10 जलकर / जलप्रभार	5
13 टेलीफोन पर व्यय	13
15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	32
17 -किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	33
योग	438

(रु0 चार लाख अड़तीस हजार मात्र)

(मनीषा पंवार)
सचिव।